राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(9)वित्त/आब/2001 पार्ट जयपुर, दिनांकः 29 सितम्बर, 2017

आदेश

भरतपुर जिले की नदबई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रायसीस के सरपंच का उप निर्वाचन माह अक्टूबर, 2017 हेतु राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22क के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधान इस उपचुनाव में भी लागू होंगे।

अतः पंचायत राज संस्थाओं के संलग्न कार्यक्रम के अनुसार संबंधित चुनाव क्षेत्रों में राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त ग्राम पंचायत में तथा इनसे लगते हुए 5. कि.मी. परिधीय क्षेत्र में **दिनांक 02.10.2017 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 04.10.2017 को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(ह्रदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ.7(2)(5)पंचा/रानिआ/2016/3140 दिनांक 27.09.2017 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर भरतपुर
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, भरतपुर
10. जिला आबकारी अधिकारी, भरतपुर
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Rajesh Issrani, 2016/Dry Day

194

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(2)(5)/पंचा/रानिआ/2016/3140 दिनांकः 27/9/2017

प्रेषक,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।

प्रेषिति,

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
वित (आबकारी) विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

वित्त (आबकारी) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
आवरी क्रमांक 7621
दिनांक 29 SEP 2017

विषयः– भरतपुर जिले की नदबई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रायसीस के सरपंच पद का उप निर्वाचन माह अक्टूबर, 2017 के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित करने के संबंध में।

महोदय,

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के भरतपुर जिले की नदबई पंचायत समिति की ग्राम पंचायत रायसीस के सरपंच पद का उप निर्वाचन दिनांक 04.10.2017 को सम्पन्न होगा।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22क के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिये भी लागू होते हैं। अतः निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है कि जिन निर्वाचन क्षेत्रों में जहां पर उपरोक्त उप चुनाव कराया जाना हैं, उन निर्वाचन क्षेत्रों से लगते हुए 5 कि.मी. परिधि में, मतदान की समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घन्टों की कालावधि में शराब का विक्रय किया जाना, वितरण किया जाना व दिया जाना निषिद्ध करते हुए सूखा दिवस (dry day) घोषित किया जावे।

सरपंच के चुनाव की मतगणना भी मतदान दिवस को ही मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात् पंचायत मुख्यालय पर ही होगी, जो देर रात्रि तक पूरी होगी। अतः निर्वाचन क्षेत्र में इनसे लगते हुए 5 कि.मी. परिधि में दिनांक 02.10.2017 को सांय 5 बजे से दिनांक 04.10.2017 को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस (dry day) घोषित किया जाना आवश्यक है। अतः कृपया उक्तानुसार आदेश प्रसारित करने का श्रम करें।

FS(R)

JSF (Excise)

भवदीय,

27.9.17

(चन्द्रशेखर मूथा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

कार्यालय अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर
10575
27/9/17

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान